



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- ए संख्या - 1063 वर्ष 2025

राम अभिलाष लस्कर
याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

भारत संघ और 2 अन्य
.....उत्तरदाता(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता

: मणिशंकर पांडे, एम. नंद शक्ला
: ए.एस.जी.आई., सुदर्शन सिंह

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र

माननीय

- यह याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद बेंच, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 05.11.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 12.08.2014 के बर्खास्तगी आदेश और दिनांक 08.08.2023 के अपीलीय आदेश के विरुद्ध दायर की गई मूल याचिका ('ओए') को खारिज कर दिया गया है।
- याचिकाकर्ता को लस्कर के पद पर कार्यरत रहते हुए 7 जून 2010 को आईपीसी की धारा 307, 504 और 506 के तहत अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दे दी थी और अपील लंबित रहने के दौरान जुर्माने की वसूली पर रोक लगा दी गई थी।
- याचिकाकर्ता को 29.11.2013 को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें पूछा गया था कि आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उसकी सेवाएं समाप्त क्यों नहीं की जानी चाहिए, जिस पर उसने जवाब दाखिल किया था, हालांकि, 12.08.2014 के आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।
- याचिकाकर्ता ने रिट याचिका संख्या 44715/2014 दायर करके उच्च न्यायालय का रुख किया, जिस पर 03.09.2021 को निर्णय लेते हुए याचिकाकर्ता को न्यायाधिकरण में जाने का निर्देश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



- दिया गया। न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की गई मूल याचिका पर निर्णय लेते हुए याचिकाकर्ता को अपील दायर करने का निर्देश दिया गया, जिसे 08.08.2023 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।
5. यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादियों ने बिना सोचे-समझे आदेश पारित किए। हालांकि याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दी गई थी, फिर भी उसे बर्खास्त कर दिया गया, इसलिए विवादित आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए।
 6. न्यायाधिकरण ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादियों ने संबंधित मुद्दों पर गहन विचार किया है और विवादित आदेशों को पारित करने के कारणों को दर्ज करते हुए एक विस्तृत आदेश पारित किया है, जिसके परिणामस्वरूप मूल याचिका खारिज कर दी गई है। इससे व्यथित होकर यह याचिका दायर की गई है।
 7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलीलों को दोहराते हुए कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा जमानत दिए जाने के बाद, आपराधिक मामले में दोषसिद्धि के आधार पर याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त करने का प्रतिवादियों के पास कोई कारण नहीं था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बर्खास्तगी के लिए दर्ज किए गए कारण उचित नहीं हैं।
 8. प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने आक्षेपित आदेश का समर्थन किया।
 9. हमने प्रस्तुत किए गए आवेदनों पर विचार किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया है।
 10. याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि पर कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने केवल सजा पर रोक लगाई है और जमानत दी है, हालांकि दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई गई है और जब तक दोषसिद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती/रद्द नहीं की जाती, याचिकाकर्ता जमानत मिलने के आधार पर कोई राहत नहीं मांग सकता है।
 11. इसके अलावा, आक्षेपित आदेश सभी पहलुओं और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद पारित किया गया है कि दोषसिद्धि याचिकाकर्ता के सरकारी कर्मचारी के रूप में चरित्र को पूरी तरह से नष्ट कर देती है, जिससे उसकी सत्यनिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंची है और वह सेवा में बने रहने के लिए अत्यंत अनुपयुक्त हो जाता है।
 12. न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश कानून की आवश्यकताओं के अनुरूप है और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता उक्त आदेश में कोई ऐसी खामी बताने में विफल रहे हैं जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।
 13. अतः याचिका में कोई दम नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेन्द्र) (न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, सी.जे.) 13

फरवरी, 2026

पी.श्री.

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"